

आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए और डीबीयू के माध्यम से डिजिटल पहुंच का विस्तार किया

स्वयं में क्यों?

आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा, धोखाधड़ी को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बैंकिंग के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs) का विस्तार किया जा रहा है ताकि कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएँ प्रदान की जा सकें और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।



RBI issues final norms for digital banking channels

MUMBAI

The Reserve Bank of India (RBI) issued final guidelines for digital banking channels, making it must for banks to obtain explicit consent from the customer for providing services which may be duly recorded. » PAGE 11

आरबीआई के डिजिटल बैंकिंग दिशानिर्देश

- **सहमति अनिवार्य:** डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने से पहले बैंकों को ग्राहक की स्पष्ट सहमति (explicit customer consent) लेनी होगी; उपयोग के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।
- **मोबाइल/ईमेल संग्रह:** अलर्ट और केवाईसी (KYC) के लिए अनुमति है, भले ही अन्य सेवाएँ अस्वीकार कर दी गई हों।
- **धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन:** लेन-देन/गति सीमाएँ (Transaction/velocity limits), असामान्य गतिविधि की निगरानी, और विषम (outliers) लेन-देन के लिए पुष्टिकरण आवश्यक है।
- **सख्त नियम लागू:** जब आरबीआई के नियम NPCI/Visa/Mastercard के मानदंडों से अधिक सख्त हों, तो आरबीआई के नियम प्रभावी होंगे।
- **नेटवर्क-स्वतंत्र मोबाइल बैंकिंग:** USSD या ऐप-रहित सेवाएँ (app-less services) सभी नेटवर्क पर काम करनी चाहिए।
- **थर्ड-पार्टी उत्पाद प्रतिबंध:** आरबीआई की मंजूरी के बिना किसी भी सहयोगी/सहायक कंपनी के उत्पाद (affiliate/subsidiary products) की पेशकश नहीं की जा सकती।
- **पारदर्शी अलर्ट:** एसएमएस/ईमेल केवल पंजीकृत संपर्कों को ही भेजे जाएँगे।

महत्व: यह ग्राहक सुरक्षा, पारदर्शिता, धोखाधड़ी नियंत्रण और वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है, खासकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs) के माध्यम से।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs)

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के पूरक के रूप में, आरबीआई ने बैंकों को डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है — ये ऐसे भौतिक केंद्र (physical hubs) हैं जो कम सेवा वाली आबादी को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करते हैं।



डीबीयू क्या है?

- डीबीयू एक विशेष शाखा या केंद्र है जो बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से स्व-सेवा (self-service) के माध्यम से प्रदान करने के लिए न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे से लैस है।
- ये यूनिट्स पारंपरिक शाखा संरचना के बिना, किसी भी समय (anytime) सेवाएँ प्रदान करने के लिए संचालित होती हैं।



शुभारंभ और कवरेज

- भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए 2022 में शुरू किया गया।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 75 दूरदराज के जिलों में स्थापित किया गया।
- डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा संचालित (भुगतान बैंक, आरआरबी, और स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल नहीं)।

दी जाने वाली सेवाएँ

- एटीएम और नकद जमा मशीनें
- इंटरनेट कियोस्क और पासबुक सुविधाएँ
- बिल भुगतान
- ई-केवाईसी (नो योर कस्टमर) के माध्यम से खाता खोलना

डीबीयू के लिए आरबीआई के अधिदेश (Mandates)

- डीबीयू को मौजूदा शाखाओं से भौतिक रूप से अलग होना चाहिए, जिसमें प्रवेश और निकास बिंदु अलग हों।
- इंटरैक्टिव टेलर मशीन (ITMs), सर्विस टर्मिनल और कैश रीसायकलर जैसी उन्नत तकनीकों से लैस होना चाहिए।
- एक वरिष्ठ, अनुभवी कार्यकारी द्वारा पर्यवेक्षित होना चाहिए।

डिजिटल बैंक और डीबीयू के बीच अंतर

विशेषता	डिजिटल बैंक (Digital Banks)	डीबीयू (DBUs)
कानूनी स्थिति	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैलेंस शीट और कानूनी व्यक्तित्व के साथ लाइसेंस प्राप्त	मौजूदा बैंकों का हिस्सा; केवल डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के लिए विस्तार
दायरा	व्यापक रेंज: जमा, ऋण, वित्तीय उत्पाद; पूरी तरह से डिजिटल	स्थान-विशेष की डिजिटल सेवाओं जैसे एटीएम, कियोस्क और ई-केवाईसी तक सीमित
नवाचार	स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा और नवाचार कर सकते हैं	सेवा वितरण पर ध्यान; प्रतिस्पर्धा या उत्पाद नवाचार के लिए सीमित गुंजाइश
उद्देश्य	वित्तीय नवाचार और प्रतिस्पर्धा	कम सेवा वाले क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच

एकीकरण और प्रभाव

आरबीआई के डिजिटल बैंकिंग दिशानिर्देश और डीबीयू मिलकर निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं:

- **पहुँच बढ़ाना:** दूरदराज के क्षेत्रों के नागरिक अब सुरक्षित रूप से डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं।
- **ग्राहकों की सुरक्षा:** सहमति, अलर्ट और जोखिम निगरानी धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- **बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** भौतिक डीबीयू मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के पूरक हैं।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना:** कम सेवा वाली आबादी को पारंपरिक शाखाओं में जाए बिना बैंकिंग तक पहुँच मिलती है।



यह दोहरा दृष्टिकोण — नियामक सुरक्षा उपाय और भौतिक डिजिटल बुनियादी ढाँचा — सुनिश्चित करता है कि भारत का डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित, समावेशी और सभी के लिए सुलभ है, जो देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यह रहा आपके द्वारा प्रदान किए गए अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद, जो सरल, सहज और मूल अर्थ को बनाए रखता है।

